भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1801
जिसका उत्तर सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया गया

क्लॉबैक नीति

1801. श्री दुरई वाइको:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एलआईसी अभिकर्ताओं को दिए जाने वाले प्रथम वर्ष के कमीशन दर में कटौती के संबंध में निर्णय को पलटने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार की यह अधिसूचित करने की कोई योजना है कि एलआईसी द्वारा एक बार प्रस्तावित 'क्लॉबैक नीति' जिसे बाद में व्यापक विरोध के कारण रद्द कर दिया गया था, भविष्य में कभी भी पुन: लागू नहीं की जाएगी;

(ग) क्या सरकार एंडोमेंट प्लान खरीदने की प्रवेश को 55 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष करने के एलआईसी के निर्णय को पलटने पर विचार कर रही है;

(घ) सरकार द्वारा एलआईसी एजेंटो को उचित कमीशन दर प्रदान करने के लिए वर्ष 2024-25 के दौरान क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार प्रीमियम राशि में परिणामी वृद्धि सहित न्यूनतम बीमा राशि 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने के नकारात्मक परिणामों से अवगत है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ङ): भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) सहित बीमा कंपनियां अपने उत्पादों को डिजाइन करने में विभिन्न सिद्धांतों का अनुसरण करती हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ विनियामकीय निर्देश, बीमांकिक विश्लेषण, विगत दावा अनुभव शामिल हैं और तदनुसार प्रवेश आयु, बीमित राशि, प्रीमियम, बोनस, कमीशन आदि पर निर्णय लेते हैं। वाणिज्यिक संस्था होने के कारण बीमा कंपनियों के पास इरडाई द्वारा जारी विनियामकीय दिशानिर्देशों और उनके बोर्ड द्वारा अनुमोदित हामीदारी अंकन नीति के अनुरूप इन सभी मामलों पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता है।

इरडाई ने दिनांक 20.03.2024 को इरडाई (बीमा उत्पाद) विनियम, 2024 और दिनांक 12.06.2024 को जीवन बीमा उत्पादों पर मास्टर परिपत्र जारी किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 1 वर्ष के बाद पॉलिसी रद्द होने की स्थिति में भुगतान किए जाने वाले विशेष अभ्यर्पण मूल्य की शुरुआत की गई है। तदनुसार, उक्त के अनुपालन में, एलआईसी ने एजेंटों के लिए कमीशन संरचना को इस प्रकार संशोधित किया है कि प्रथम वर्ष के कमीशन को थोड़ा

कम कर दिया गया है जबकि तदंनतर वर्ष अर्थात चौथे वर्ष से छठे वर्ष में कमीशन को बढ़ा दिया गया है। साथ ही, एलआईसी ने कमीशन वापस लेने के संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किया है।

यद्यपि, एलआईसी के न्यू एंडोमेंट प्लान के लिए, प्रवेश हेतु अधिकतम आयु 55 वर्ष से 50 वर्ष तक संशोधित की गई थी, एलआईसी के कई उत्पादों जैसे निवेश प्लस, सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान, जीवन अक्षय, न्यू जीवन अमर, पेंशन प्लस आदि में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु 50 वर्ष से अधिक है। साथ ही, एलआईसी ग्रामीण भारत सहित गरीब लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 1 लाख रुपये की न्यूनतम बीमा राशि के साथ माइक्रो बचत जैसे उत्पादों की पेशकश करता रहता है। इसी तरह, एक अन्य उत्पाद, अर्थात् सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान में, न्यूनतम बीमा राशि 1 लाख रुपये है। अत: हमारे नागरिकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एलआईसी द्वारा विभिन्न उत्पाद उपलब्ध कराए जाते हैं।

******